



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

CENTRAL HINDI DIRECTORATE

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM -2017

नई दिल्ली/NEW DELHI-110066

दिनांक/DATED :

16-02-2017

फोन/Phone : 26178454, 26105211

26105213, 26105214, 26105243

26105312, 26105245, 26105526

फैक्स/Fax : 26100758, 26103160

26102575

www.hindinideshalaya.nic.in

सेवा में,

विषय:- केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रथम तल और भू-तल पर स्थित विभागीय कैंटीन में लगे RO सिस्टम के रख-रखाव व मरम्मत हेतु खर्च के विवरण की जानकारी विभिन्न एंजिसियों/फर्मों से सील बन्द कोटेशन/निविदाएँ प्राप्त करने से संबंधित।

महोदय,

निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् इस निदेशालय के प्रथम तल और भू-तल पर स्थित विभागीय कैंटीन में लगे RO सिस्टम के रख-रखाव व मरम्मत हेतु खर्च के विवरण की जानकारी विभिन्न एंजिसियों/फर्मों से सील बन्द कोटेशन/निविदाएँ प्राप्त की जानी है। अतः आपसे अनुरोध है कि अगर आपकी फर्म निदेशालय के प्रथम तल और भू-तल पर स्थित विभागीय कैंटीन में लगे RO सिस्टम के रख-रखाव व मरम्मत हेतु (AMC) ठेके पर कार्य करने को तैयार है तो अपनी फर्म के लैटर हैड पर दोनों RO के रख-रखाव व मरम्मत पर खर्च की जानकारी को सील बन्द लिफाफे में दिनांक 27-02-2017 सांय 2.00 बजे तक इस निदेशालय में भिजवाने की व्यवस्था करें। निविदाएं उसी दिन सांय 3.00 बजे उप-निदेशक(भाषा) महोदय के कक्ष में खोली जाएंगी। निविदा भिजवाये जाने के नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं :-

1. निविदाएं सील बंद लिफोफे में होनी चाहिए तथा लिफोफे के ऊपर निदेशालय के प्रथम तल और भू-तल पर स्थित विभागीय कैंटीन में लगे RO सिस्टम के रख-रखाव व मरम्मत हेतु खर्च की जानकारी लिखा होना चाहिए।
2. उप-निदेशक (भाषा) का निर्णय अंतिम होगा। कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में उन्हें अधिकार होगा कि वे कार्य को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकते हैं।
3. आपको सूचना देने के उपरांत आप तुरंत कार्यालय में संपर्क करने के लिए बाध्य होंगे।
4. निविदाएं उन्ही फर्मों की स्वीकार्य की जायेगी जो दिनांक 26-2-2016 से पहले निदेशालय में स्वयं आकर कार्य का निरीक्षण करें तथा कार्य के निरीक्षण करने के उपरांत ही अपनी स्वीकृत दरें प्रस्तुत करें।

आप उपरोक्त नियम व शर्तों के अनुसार बाध्य होंगे तथा किसी प्रकार की शिकायत का मौका न देने की स्थिति में कार्य करेंगे।

भवदीय,

(आर. एस. मीना)

उप निदेशक (भाषा)/प्रशासन

वेबसाइट पर अपलोड करवाने के लिए सहायक निदेशक (वेबसाइट) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।